12/1/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible]
अन्य [illegible]
पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन [illegible]
अन्य राज्य कार्य मे [illegible] अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/3/25
को पेश हो।

4/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible]
[illegible] के कारण [illegible]
[illegible] पीठासीन [illegible]
अन्य [illegible]
पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 को पेश हो।

25/3/25 पत्रावली पेश [illegible]
[illegible]
पूर्वानुसार दिनांक 22/4/25
को पेश हो।

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सरकार पैरोकार उपस्थित नहीं। वक्त अदालत प्रार्थी सरकार पैरोकार को बार बार आवाज लगवाई गई। प्रार्थी सरकार पैरोकार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत गुजार हो, दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर (द्वितीय) जयपुर।

मुकदमा संख्या : 20/1969 (सीलिंग)

सरकार बनाम केसर सिंह (मृतक) जरिये रघुनाथ सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

श्रीमान्

आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1– यह कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री केसरी सिंह के विरूद्ध पुराने सीलिंग एक्ट के तहत प्रकरण प्रारम्भ किया गया और मुकदमा संख्या 20/1969 उनवारी सरकार बनाम केसरी सिंह में दिनांक 9–6–1971 को एक आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस अपील को दिनांक 1–9–1972 के निर्णय द्वारा निर्णीत फरमा दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने दिनांक 10–8–1982 के निर्णय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 1–9–1972 को पारित आदेश को बहाल रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा नजरसानी याचिका संख्या 10/1992 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 5–2–1993 के निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 11–9–1972 को निरस्त कर प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रतिप्रेषित किया।

2– यह कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने दिनांक 10–8–1993 के अपने निर्णय द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करते हुये 56 स्टेंडर्ड एकड, 55 स्टेंडर्ड एकड भूमि को भूमिधारी को रखने का अधिकारी होना मानते हुये 01 स्टेंडर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुये अवाप्त किये जाने का आदेश पारित किया परन्तु उक्त फ्रिगमेंट की श्रेणी में आने की वजह से सीलिंग से मुक्त रखी जाकर सम्पूर्ण भूमि को सीलिंग से मुक्त फरमा दिया।